



परिपत्र (प्रशासन)

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/04/2023-स्था (ए-II) दिनांक 30.08.2024, जिसे की इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 24.10.2024 द्वारा परिचालित किया गया था में वर्ष 2023-24 की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) लिखने की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

2. इस संदर्भ में बड़ी संख्या में APAR या तो रिपोर्ट किए गए सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों (ORU) द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या रिपोर्टिंग अधिकारियों (Reporting Officers)/ समीक्षा अधिकारियों (Reviewing Officers) के पास लंबित हैं।

3. सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों (ORU), रिपोर्टिंग अधिकारियों (Reporting Officers) तथा समीक्षा अधिकारियों (Reviewing Officers) से अनुरोध किया जाता है कि APAR की प्रक्रिया पूर्ण करके अतिशीघ्र प्रशासन अनुभाग में जमा करवा दे जिस से की वर्ष 2023-24 की APARs प्रक्रिया तय समय पर पूर्ण की जा सके।

सभी अनुभागों / लेखा प्रबंधन समूह के वरिष्ठ लेखापरिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) से निवेदन है कि वह वर्ष 2023-24 के लंबित वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) 15 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं० - प्रशा./ले.प./ए०पी०ए०आर०/2023-24/2024-25/3391-97

दिनांक 31.12.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरिक्षा)
2. निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं राज्य वित्त)
3. निजी सहायक, उप महालेखाकार (ले प्र समूह-I)
4. निजी सहायक, उप महालेखाकार (ले प्र समूह-III)
5. निजी सहायक, उप महालेखाकार (ले प्र समूह-II)
6. सभी वरिष्ठ लेखापरिक्षा अधिकारी
7. सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी (ई-मेल द्वारा)

वरिष्ठ लेखापरिक्षा अधिकारी(प्रशासन)